न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील: 29/2025
दायर दिनांक: 05.12.2025
निर्णय दिनांक 05.05.2026

—: अनवान :—

हीरासिंह पिता श्री खुमाणसिंह जी जाति रावत आयु 75 वर्ष निवासी गॉव बली जस्साखेडा तहसील भीम जिला राजसमन्द राजस्थान

— अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सचिव सडक एवं परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली
2. तहसीलदार भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.06.2025 नामान्तरकरण संख्या 2667 पारित द्वारा तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द से व्यथित होकर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1. श्री श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2667 दिनांक 12.06.25 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बली पटवार हल्का बली तहसील भीम जिला राजसमंद में आबादी भुमि 877, 5942/877 को जरिये नामान्तरकरण तहसीलदार भीम द्वारा रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर स्वीकृत किया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गया है जो अवैद्य एवं विधि विरूद्ध है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भुमि अपीलार्थी व अन्य व्यक्तियो की होने से और उनके मकान दुकाने आदि बने होकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी कर रखे है। उक्त भुमि को रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर अवाप्ति की कार्यवाही के आधार पर दर्ज करने में त्रुटि कारित की है। उक्त भुमि की नेशनल हाईवे प्राधिकरण को अवाप्ति में आवश्यकता ही नहीं थी लेकिन उनके द्वारा गलत रूप से इस भुमि को अवाप्त किया गया है। भुमि का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया न ही भुगतान किया गया है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये यह भुमि रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर दर्ज कर दी गई है जो अवैद्य एवं विधि विरूद्व है। अवाप्तशुदा भुमि के संबध में मौके की कोई जॉच ही नहीं की गई है और बिना जॉच किये ही भुमि अवाप्त कर दी गई है। यह भुमि नेशनल हाईवे से काफी दूर है, रोड के मध्य बिन्दु से 30 मीटर भुमि की ही आवश्यकता है लेकिन उक्त मामले में जो भुमि अवाप्त की गई है उसके मध्य दो भुमियों आराजी संख्या 875, 876 स्थित है जिन्हें अवाप्त नहीं किया गया है और उनके पीछे वाली भुमि को अवाप्त कर दिया गया है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। जिसके संबध में मौका जाँच रिपोर्ट भी नहीं ली गई और सारी कार्यवाही अवैद्य रूप से कागजो में ही कर दी गई है। उपरोक्त परिस्थिति में स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण अपास्त होने योग्य है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में मौके की कोई जाँच नहीं की गई है और राजस्व अधिकारी द्वारा भी नियमो के विपरित उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। अतः श्रीमान् सें निवेदन है कि अपली अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ तहसीलदार भीम द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्टगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार करते हुए धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बली पटवार हल्का बली तहसील भीम जिला राजसमंद में आबादी भुमि 877, 5942/877 को जरिये नामान्तरकरण तहसीलदार भीम द्वारा रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर स्वीकृत किया गया है जो अवैद्य एवं विधि विरूद्ध है अधिनस्थ न्यायालय

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यो एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भुमि अपीलार्थी व अन्य व्यक्तियो की होने से और उनके मकान दुकाने आदि बने होकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी कर रखे है। उक्त भुमि को रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर अवाप्ति की कार्यवाही के आधार पर दर्ज करने में त्रुटि कारित की है। उक्त भुमि की नेशनल हाईवे प्राधिकरण को अवाप्ति में आवश्यकता ही नहीं थी लेकिन उनके द्वारा गलत रूप से इस भुमि को अवाप्त किया गया है। भुमि का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया न ही भुगतान किया गया है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये यह भुमि रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर दर्ज कर दी गई है जो अवैद्य एवं विधि विरूद्व है। अवाप्तशुदा भुमि के संबध में मौके की कोई जॉच ही नहीं की गई है और बिना जॉच किये ही भुमि अवाप्त कर दी गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में मौके की कोई जाँच नहीं की गई है और राजस्व अधिकारी द्वारा भी नियमो के विपरित उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। अतः श्रीमान् सें निवेदन है कि अपली अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ तहसीलदार भीम द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम, जिला राजसमंद द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण (Mutation) संख्या 2667 दिनांक 12.06.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस अपील में अपीलार्थी का यह कहना है कि उसकी भूमि आबादी भूमि है, जिस पर मकान और दुकानें आदि बनी हुई हैं। ग्राम पंचायत ने इसके पट्टे दिए हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) द्वारा उसे मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह विवादित नामान्तरकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) के नाम पर दर्ज कर दिया गया है, जो कि गलत है और इसे निरस्त किया जाए। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि पटवार मंडल कीकरवास के ग्राम कहारी की भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अवाप्ति (Land Acquisition) की धारा 3 D के तहत अधिग्रहित की गई है। जिसके क्रमांक 1407/31 मई 2013, 3512/27 नवंबर 2013, 139/27 जनवरी 2014, 382/12 फरवरी 2014, 2514/27 सितंबर 2015, 1470/18 दिसंबर 2015, के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 8 (नया 58) ब्यावर से गोमती चौराहा फोरलेन निर्माण हेतु अवाप्तशुदा आराजी का धारा 3 D एवं जमाबंदी से जाँच कर यह नामान्तरकरण खोला गया है। अवाप्त

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की जाने वाली भूमि के मुआवजे का निर्धारण करना भूमि अवाप्ति अधिकारी न्यायालय का कार्य होता है। जब भी अवाप्ति अधिनियम की धारा 3 D के तहत अधिसूचना जारी होती है, वह भूमि विधिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में निहित हो जाती है।

अतः मैं इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.11.2025 तथा इस आधार पर खोले गए म्यूटेशन संख्या 2667 दिनांक 12.06.2025 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाता हूँ। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज जाता हैं।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 05.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमंद (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद